केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
19 FEB 2021
D. No.......
Initials.......

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00015
CICOM/R/P/20/00560

अपीलकर्ता : श्री आन्नद किशोर पण्डा
लक्ष्मण नगर, गुमला
झारखंड - 835207.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.11.2020
केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.12.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.01.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.01.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	25.01.2021
निर्णय की तारीख	19.02.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28.11.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के CIC/AD/2013/001825-SA से संबंधित आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 27.07.2020 के पत्र (डायरी सं.122366 दिनांक 10.08.2020) पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी गई थी ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/20/00568 दिनांक 12.01.2021 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई:-

"Your letter dated 27.07.2020 has been received in the Commission vide dairy no 122366 dated 10.08.2020 and same has been linked in the concern appeal file. As per record no action has been taken on your above letter".

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि " आज की तिथि तक मुझे किसी तरह की कोई भी सूचनाएं अप्राप्त हैं जो आर.टी.आई. ऐक्ट, 2005 की धारा 7 (1) का घोर उल्लंघन है" तथा अनुरोध किया है कि रोकी गई सूचनाएं दिलाने का आदेश पारित किया जाए ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 28.11.2020 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में में दिनांक 11.12.2020 को प्राप्त हुआ तथा दिनांक 12.01.2021 को संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा रिकार्ड में उपलब्ध सूचना प्रेषित कर दी गई है, अतः इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है ।

o/c

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख : 19, फरवरी, 2021.

मीनाशर्मा 19/2/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (DR to CIC (HS), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

19/02/21

19/2/2021

Central Information Commission
CIC Bhawan Baba Gang Nath Marg
Muniraka, New Delhi 110067
Phone no 26180514

CICOM/R/P/2020/00568 12.01.2021

Sh Anand Kishore Panda
Laxman Nagar Gumla
Jharkhand 835207

Subject: - Supply of Information under RTI Act 2005

This has reference to the RTI application dated 28.11.2020 received in the registry on 18.12.2020 reply is as under:-

Your letter dated 27.07.2020 has been received in the Commission vide dairy no 122366 dated 10.8.2020 and same has been linked in the concern appeal file. As per record no action has been taken on your above letter.

In case the applicant is not satisfied with the above reply , he can appeal within 30 days of receipt of this letter to the First Appellate Authority , whose address is as under:-

Smt Meena B Sharma
Addl Secretary
Room no 502 ,CIC Bhawn,Baba Nath Marg
Murika New Delhi 110067

केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
CIC

R. P. Grover
CPIO & Designated Officer IC-YS

Copy to Nodel CPIO CIC New Delhi

13/1/21
pl file
13/1/21